राजस्थान आवासन मण्डलः जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक / 2019 / 1559

दिनांक:- 11 9 19

अधिसूचना

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नित) विनियम—2010 के सेक्शन—ए—जनरल विंग (मंत्रालियक सेवा) में चतुर्थ श्रेणी सेवा (हैल्पर) से किनष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नित हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में राजस्थान सरकार कि अधिसूचना क्रमांक F.7(2)DOP/A-II/2006 दिनांक 05.07.2010 के प्रावधानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नित) विनियम—2010 की अनुसूची के सेक्शन—ए—जनरल विंग (मंत्रालियक सेवा) संवर्ग के क्रम संख्या 4 के कॉलम संख्या 6 में संशोधन कर Secondary के स्थान पर Senior Secondary प्रतिस्थापित करते हुये निम्न प्रकार से पदोन्नित हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रतिस्थापित की जाती है :—

Schedule

S. No.	Name of post	Method of Recruitment with percentage	Minimum Qualification & experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification experience required for promotion	Remark
1	2	3	4	5	6	7
SECTION 'A' – GENERAL WING						
MINIS	TERIAL SERVI					
4A.	Junior Assistant	75% Direct recruitment 25% Promotion	Senior Secondary of a recoginised Board with Basic Knowledge of computer operation	Class –IV Service	Senior Secondary from a recognised Board or its Equivalent Examination. and "O" or Higer Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India. Or Computer Operator & Programming Assistant (COPA) Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme. Or Diploma in Computer Science & Engineering From a polytechnic institution recognised by the Government.	

	Or Certificate Course in Information Technology (RSCIT) Conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited,	
	and Five years experience on the post mentioned in column Number 5	

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

	<u> </u>
1.	निजी संचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल,जयपुर।
2.	निजी सचिव-सचिव / वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी,रा०आ० मण्डल,जयपुर ।
3.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता।
4.	उप आवासन आयुक्त वृत रा०आ० मण्डल,
	आवासीय अभियन्ता खण्ड रा०आ० मण्डल,
	समस्त प्रकोष्ठराठआ० मण्डल,जयपुर।

7. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।

क्रो५१) -वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-: प.1(1)कार्मिक / क्रिया / बोमी235.07 / 2018 / 4057 दिनांक :- 26 3 / 18

:: कार्यालय आदेश ::

संचालक मण्डल की 235वीं बैठक दिनांक 08.02.2018 के बिन्दु संख्या 235.07 के निर्णयानुसार राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नित) विनियम—2010 के सेक्शन—ए—जनरल विंग (मंत्रालयिक सेवा) में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नित हेतु निर्धारित प्रावधानों में वर्कचार्ज संवर्ग से कनवर्जन हेतु नियत अभ्यांश को पदोन्नित हेतु नियत अभ्यांश में सम्मिलित करते हुये निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं :—

SECTION 'A' MINISTERIAL SERVICE

S. No	Name of the Post	Method of Recruitment with percentage	Minimum Qualification & Experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification and experience required for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
4	Junior Assistant	75% Direct recruitment 25 % promotion	Senior Secondary of a recoginised Board with basic knowledge of computer operation	Class-IV service	Secondary from recognised Board, with 5 years. Experience on the post of mention in column No. 5	

- संचालक मण्डल के निर्णयानुसार यद्यपि-कनवर्जन कोटा समाप्त किया जा चुका हैं तथापि वर्कचार्ज संवर्ग से कोई कार्मिक कनवर्जन द्वारा कनिष्ठ सहायक बनना चाहता है, तो उसे प्राथमिकता दी जावे।

ंटक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनिल कुमार कौशिक) सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

प्रातालाप निम्नालाखरा का रूप गांच दूर जा रहा ज	
—————————————————————————————————————	/ ॥, रा.आ.मं., जयपुर।
 निजी सचिव-सचिव / वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं., ज 	यपुर ।
2. निजी साचव-सावव / १५.२१. ८५ उट्य राजा गर्म	I
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता— रा.आ.मं.,	e 1
NALTE 2007 ACT - V.31.4.,	[
E भागसीय अभियन्ता खण्ड— रा.आ.म.,	
६ समस्त प्रकोष्ट(मु.) रा.आ.म., जयपुर ।	
7. नोटिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली।	

तरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक